

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
उपकारा, वीरपुर, बगहा, दाउदनगर,
विक्रमगंज, मसौड़ी, हिलसा, उदाकिशुनगंज एवं दलसिंहसराय।

पटना, दिनांक-०६/०२/२०१७।

विषय-मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं० 22, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0003 उप जेल के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु विभिन्न आकस्मिक मदों की निकासी हेतु ₹69,10,000 (उनहत्तर लाख दस हजार रुपये मात्र) के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

विपत्र कोड-N-2056001010003

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि. दिनांक-31.03.2016 पत्रांक-एम0-4-09/2014-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं ज्ञाप संख्या-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर, बगहा, दाउदनगर, विक्रमगंज, मसौड़ी, हिलसा, उदाकिशुनगंज एवं दलसिंहसराय से प्राप्त अध्याचना के आलोक में निम्नरूपेण राशि का अतिरिक्त आवंटन विभिन्न आकस्मिक मदों में स्वीकृत किया जाता है :-

क्र	उपकारा का नाम	कुट सं० एवं मद	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1	वीरपुर	13 01 कार्यालय व्यय	192000	130000	322000	तीन लाख बाईस हजार रुपये मात्र।
		13 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	40000	35000	75000	पचहत्तर हजार रुपये मात्र।
		13 06 वर्दी/पोषाक	60000	12000	72000	बहत्तर हजार रुपये मात्र।
		21 03 आहार/पथ्य	2884000	400000	3284000	बत्तीस लाख चौरासी हजार रुपये मात्र।
2	बगहा	13 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	60000	84000	144000	एक लाख चौवालीस हजार रुपये मात्र।
3	दाउदनगर	13 01 कार्यालय व्यय	250000	100000	350000	तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र।
		13 04 विद्युत प्रभार	300000	450000	750000	सात लाख पचास हजार रुपये मात्र।
		21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	371000	360000	731000	सात लाख एकतीस हजार रुपये मात्र।
		21 02 दवा भंडार	164000	40000	204000	दो लाख चार हजार रुपये मात्र।
4	विक्रमगंज	13 01 कार्यालय व्यय	172000	100000	272000	दो लाख बहत्तर हजार रुपये मात्र।
		13 04 विद्युत प्रभार	300000	450000	750000	सात लाख पचास हजार रुपये मात्र।
		21 03 आहार/पथ्य	2640000	1100000	3740000	सैंतीस लाख चालीस हजार रुपये मात्र।
5	मसौड़ी	13 03 दूरभाष	20000	14000	34000	चौतीस हजार रुपये मात्र।
6	हिलसा	14 01 किराया, महसूल एवं कर	20000	60000	80000	अस्सी हजार रुपये मात्र।
7	उदाकिशुनगंज	21 02 दवा भंडार	203000	150000	353000	तीन लाख तीरपन हजार रुपये मात्र।
		21 03 आहार/पथ्य	4754000	2500000	7254000	बहत्तर लाख चौवन हजार रुपये मात्र।
		13 04 विद्युत प्रभार	400000	600000	1000000	दस लाख रुपये मात्र।
8	दलसिंहसराय	13 01 कार्यालय व्यय	144000	125000	269000	दो लाख उनहत्तर हजार रुपये मात्र।
		21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	151000	200000	351000	तीन लाख एकावन हजार रुपये मात्र।
कुल योग			13125000	6910000	20035000	दो करोड़ पैंतीस हजार रुपये मात्र।

(उनहत्तर लाख दस हजार रुपये मात्र)

रिजिस्ट्रार
पटना

मो. जमाबुदीन अंसारी

रामगोपाल सिंह
उप निदेशक, (कारा)

2. इस आवंटन की स्वीकृति मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-101 जेल, मांग सं0-22, उपशीर्ष-0003 उप जेल (विपत्र कोड-N2056001010003) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट उपबंधित राशि से निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय में, बिहार वित्तीय नियमावली, वित्तीय नियमावली 2005 (संशोधित) एवं इनके अन्तर्गत निर्गत समस्त नियमों, अनुदेशों तथा वित्त विभाग के ज्ञाप सं0 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग सहित विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाय।

6. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष- 2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष- 101 जेल, उपशीर्ष-0003 उप जेल के तहत होगा। काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि संलग्न विवरणी में उल्लिखित मदों की कूट संख्या, मांग संख्या-22 एवं विपत्र कोड-N2056001010003 का उल्लेख विपत्रों पर अवश्य करें अन्यथा कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किया जायेगा।

7. सामग्री एवं पूर्तियाँ/आहार/पथ्य मद में आवंटित की जाने वाली राशि से प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम जिन कारा निर्माणशालाओं से सामग्रियों /खाद्य पदार्थों का उठाव किया गया है उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। निर्माणशाला में उत्पादित सामग्री/खाद्य पदार्थों का क्रय किसी भी परिस्थिति में बाजार/आपूरक/अन्य एजेसी से नहीं किया जाएगा।

8. कारा निर्माणशाला से निर्गत होने वाले सामग्रियों का क्रय उक्त कारा से ही किया जाएगा अथवा किया गया है और किसी अन्य श्रोत से उनका क्रय नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर अंकित करेंगे। साथ ही काराधीक्षक विभागीय पत्रांक-1395 दिनांक-03.03.2015 एवं 3804 दिनांक-26.06.2008 के शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

9. वर्तमान आवंटन कारा निरीक्षणालय में प्राप्त/अद्यतन संधारित बंदी संख्या के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। काराओं में संसीमित वास्तविक बंदी संख्या एवं कय समितियों द्वारा अनुमोदित दर के अधीन ही संगत मदों में राशि का नियमानुसार व्यय किया जायेगा। यदि किसी मद में राशि की बचत संभावित होती है तो ससमय प्रत्यर्पित कर दिया जायेगा। यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता संभावित है तो पूर्ण औचित्य सहित ससमय अधियाचना प्रस्तुत किया जायेगा। स्पष्ट औचित्य के बिना प्राप्त अधियाचना विचारित नहीं की जायेगी।

10. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय तथा एक मद से दूसरे मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

11. मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी0 नं0 के साथ यथा पूर्व निदेशित ससमय अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

मो. अमाबुद्दीन अंसारी

राज्य प्रमुख

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/बजट(उप)-03-02/16--१४

/पटना, दिनांक-०६-२-२०१७

प्रतिलिपि:-महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मौ. जमाबुद्दीन अंशाटी. २१ नवंबर २०१६

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/बजट(उप)-03-02/16-१४

/पटना, दिनांक-०६-२-२०१७

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मौ. जमाबुद्दीन अंशाटी. २१ नवंबर २०१६

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/बजट(उप)-03-02/16-१४

/पटना, दिनांक-०६-२-२०१७

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मौ. जमाबुद्दीन अंशाटी. २१ नवंबर २०१६

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-कारा/बजट(उप)-03-02/16-१४

/पटना, दिनांक-०६-२-२०१७

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मौ. जमाबुद्दीन अंशाटी. २१ नवंबर २०१६

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

